>

Title: Need to expedite implementation of Forest Rights Act, 2006.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय,इस देश में कई पीढ़ियों से वन्य क्षेत्र की धरती पर कब्जा करके जनजातीय लोग वहां परम्परागत रूप से रहते आए हैं। वन संरक्षण अधिनियम पास होने के बाद उनके वन भूमि से निर्वासित होने की नौबत आ गई है। वन्य अधिकारी और पुलिस अधिकारी मिलकर उन लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और जिस जमीन पर उनका कब्जा है, उसे खाली कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी वजह से कई आंदोलन भी हुए हैं। सरकार ने वन भूमि मान्यता अधिकार अधिनियम को संसद में पास कराया था। बिल पास होने के बाद, उसका नियम नहीं बनने से इन आदिवासी भाइयों को जमीन के जो पट्टे दिए जाने थे, राज्य सरकारों को उस बाबत उचित निर्देश नहीं मिल सके हैं। इस वजह से वन अधिकारी और पुलिस अधिकारी मिलकर इनकी जमीन का कब्जा खाली कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह बिना वजह से इन आदिवासी भाइयों को, जो वन्य क्षेत्र की भूमि पर पीढ़ियों से परम्परागत रूप से रहते आए हैं, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जो बिल यहां पास हुआ था, उसे कानूनी रूप देकर तुंत लागू किया जाए और राज्य सरकारों को इस पर अमल करने के लिए कहा जाए।